खण्ड - छः

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

1. प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर तथा अन्य अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में इस्पात, सीमेंट, विद्युत परियोजनायें तथा अन्य उद्योग आदि काफी संख्या में स्थापित हुए हैं। साथ ही वन तथा कृषि पर आधारित उद्योग जैसे राईस मिल, पोहा मिल, प्लाईवुड, फर्नीचर आदि उद्योग भी स्थापित हुए हैं। राज्य में औद्योगिक गतिविधियां प्रमुख रूप से रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ एवं दंतेवाड़ा में संचालित है तथा इन क्षेत्रों में स्पंज आयरन, पेपर, सीमेन्ट, फर्टीलाईजर तथा कुछ अन्य उद्योगों के साथ लघु/कुटीर उद्योग जैसे राईस एवं पोहा मिलें बहुतायत में स्थापित हैं।

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन

राज्य सरकार द्वारा छततीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 25 जुलाई 2001 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 4 के तहत किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों में प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा हैः—

1. जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. वायु (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
5. खतरनाक अपशिष्ठ (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचालन) नियम, 2008
6. खतरनाक रसायन विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989
7. नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 2000
8. जीव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998
9. प्लास्टिक विनिर्माण, विक्रय व उपयोग नियम, 1999
10. फ्लाई ऐश के उपयोग पर जारी अधिसूचना सितम्बर, 1999
11. बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001
12. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006

3. संगठनात्मक संरचना

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय नया रायपुर में स्थित है, तथा इसके अधीनस्थ सात क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः रायपुर, भिलाई–दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अम्बिकापुर, जगदलपुर में स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है :–

तालिका-1

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिले का नाम
1	रायपुर	रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदा बाजार, गरियाबंद
2	भिलाई–दुर्ग	दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा
3	बिलासपुर	बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, मुंगेली
4	कोरबा	कोरबा,
5	रायगढ़	रायगढ़, जशपुर
6	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर
7	जगदलपुर	जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर बीजापुर, कोण्डागांव, सुकमा

4. मंडल के मुख्य कार्यकलाप

(1) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं संस्थाओं को क्रमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान करना।

(2) राज्य में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करवाना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन पर निगरानी रखना।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अतंर्गत बनाये गए विभिन्न नियमों यथा खतरनाक अपशिष्ठ (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचालन) नियम, 2008, नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 2000, जीव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998, अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम 2011, फ्लाई ऐश के उपयोग पर जारी अधिसूचना सितम्बर, 1999, बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001 एवं ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 आदि के प्रावधानों का पालन कराना।

5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सम्पादित कार्य :-

5.1 जल एवं वायु सम्मति

(अ) मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं संस्थाओं को क्रमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान की जाती है। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक मंडल को सम्मति शुल्क के रूप में रू0 519.71/– लाख तथा नवीनीकरण शुल्क के रूप में रू0 1008.13/– लाख प्राप्त हुए।

तालिका-2

दिनांक 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक उद्योगों को जारी की गई, सम्मति/सम्मति नवीनीकरण की संख्या

क्र.	कार्यालय का नाम	स्थापना/संचालन सम्मति		नवीनीकरण
1	मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर	स्थापना – 35 संचालन – 49	} 84	352
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	138		207
3	क्षेत्रीय कार्यालय, भिलाई–दुर्ग	150		182
4	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	37		100
5	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	21		50
6	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	31		101
7	क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर	28		77
8	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	21		46
कुल		510		1115

5.2 जल उपकर

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अंतर्गत उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा उपयोग किये गए जल के प्रयोजन एवं मात्रा के आधार पर उपकर निर्धारित किया जाता है। प्राप्त राशि को मूलतः भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा जाता है। इसमें से 80 प्रतिशत राशि बोर्ड को वापस प्राप्त होती है। बोर्ड के राजस्व का यह प्रमुख स्त्रोत है।

5.3 जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

(अ) भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन कार्यक्रम (मीनार्स)

इसके अंतर्गत प्रमुख प्राकृतिक जल स्त्रोतों की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाती है। इस कार्यक्रम में प्रदेश की मुख्य नदियाँ– महानदी, शिवनाथ, खारून, अरपा, हसदेव, केलो, शंखनी–डंकनी, मांड, इंद्रावती नदियाँ शामिल हैं। यह योजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आर्थिक सहयोग से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

तालिका -3

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	99
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	47
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	08
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	66
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	44
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	36
	कुल	300

(ब) अन्य प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग

मीनार्स कार्यक्रम के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा स्वयं के वित्तीय व्यय से सभी प्रमुख नदियों तथा उनकी सहायक नदियों एवं मुख्य झीलों, बांधों तथा तालाबों के जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

तालिका -4

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	199
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	109
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	146
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	247
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	150
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	69
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	62
	कुल	982

(स) औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग

उद्योगों से उत्पन्न दूषित जल की गुणवत्ता मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। मॉनिटरिंग परिणामों के आधार पर उद्योगों पर कार्यवाही की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

तालिका -5

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	76
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	46
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	40
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	62
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	06
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	05
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	101
	कुल	336

5.4 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

(अ) राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (NAQM)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के चार प्रमुख शहरों रायपुर, कोरबा, बिलासपुर एवं दुर्ग–भिलाई में परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग में आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थान सम्मिलित हैं। मॉनिटरिंग में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर (एस.पी.एम.), रेस्परेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर (आर.एस.पी.एम.), सल्फर डाई–आक्साइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विश्लेषित नमूनों की संख्या निम्नानुसार है :–

तालिका -6

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	एस.पी.एम.	आर.एस.पी. एम.	सल्फर डाई ऑक्साइड	नाइट्रोजन ऑक्साइड
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	670	670	1342	1342
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	215	215	430	430
3.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	310	156	580	580
4.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	318	366	722	722
	कुल	1513	1407	3074	3074

(ब) उद्योगों की चिमनियों के उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग

औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप वायु प्रदूषण की स्थिति पर सतत् निगरानी रखने हेतु उद्योगों की चिमनियों से होने वाले उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार उद्योगों की चिमनियों एवं परिवेशीय वायु के निम्नानुसार नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये:–

तालिका -7

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्टेक मॉनिटरिंग की संख्या	एंबीएन्ट एयर मॉनीटरिंग की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	193	108
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	75	168
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	निरंक	10
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	निरंक	33
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	174	81
6.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	229	108
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	74	22
	कुल	745	530

5.5 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए.नोटिफिकेशन 2006 के अंतर्गत की गई लोक सुनवाई :–

(अ) दिनांक 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक की अवधि में सम्पन्न लोक सुनवाई :–

तालिका -8

क्र.	कार्यालय का नाम	भारत शासन को भेजे गये प्रकरणों की संख्या
1.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	13

5.6 उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

दिनांक 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक की अवधि में जारी नोटिस एवं निर्देशों का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका - 9

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नोटिस की संख्या	निर्देशों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	104	73
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	22	17
3.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	06	01
4	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	07	निरंक
5.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	13	05
6.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	08	01
7.	क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर	06	निरंक
कुल		166	97

6. न्यायालयीन कार्यवाही :-

दिनांक 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक की अवधि में क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार न्यायालयीन कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका - 10

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	उपरोक्त अवधि में दायर प्रकरणों की संख्या
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	16
02	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	13
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	09

04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	20
05	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	निरंक
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	03
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	03
कुल		64

7. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचालन) नियम 2009,

इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि में जारी प्राधिकार एवं नवीनीकरण :–

1. प्राधिकार – 30
2. नवीनीकरण – 45

8. जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 1998

इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि में जारी प्राधिकार एवं नवीनीकरण :–

1. प्राधिकार – 134
2. नवीनीकरण – 101

9. ध्वनि स्तर मापन :-

मंडल द्वारा दीपावली के पूर्व एवं दीपावली के दिन ध्वनि स्तर मापन का कार्य किया जाता है जिससे कि दीपावली पर्व के दौरान शहरों में ध्वनि का स्तर कितना है यह ज्ञात हो सके। इस वर्ष मंडल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ध्वनि स्तर मापन की संख्या कुल 465 है।

10. खतरनाक ठोस अपशिष्टों का सीमेंट क्लिन में को-प्रोसेसिंग किया जाना :-

खतरनाक ठोस अपशिष्टों का सीमेंट प्लांट की क्लिन में को–प्रोसेसिंग एक अच्छा व फायदेमंद विकल्प है। मंडल के इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य के 03 प्रमुख सीमेंट उद्योगों द्वारा इस कार्य हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

11. ऑनलाईन कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन :-

मंडल के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के विभिन्न प्रमुख उद्योगों द्वारा रायपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर जगदलपुर, एवं भिलाई में कुल 102 ऑनलाईन कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किये गये हैं। इन उपकरणों द्वारा सतत् रूप में एस.पी.एम., आर.एस.पी.एम., एस.ओ.टू. एवं एन.ओ.एक्स. की स्थिति लगातार ज्ञात होकर दर्शित होती है।

12. 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाईन कन्टीन्यूअस स्टेक एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित।

मंडल में 17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी उद्योग जिनमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार

ऑनलाईन कन्टीन्यूअस स्टेक एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाना अनिवार्य था, में आने वाले सभी उद्योगों में उक्त सिस्टम स्थापित कर लिया गया है। प्रदेश में ऐसे उद्योगों की संख्या 140 है। इसके अतिरिक्त रोलिंग मिलें जो की 17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी उद्योगों में शामिल नही है, में भी 111 रोलिंग मिलों में ऑनलाईन कंटिन्यूअस स्टेक एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा लिये गये है।

13. ऑन लाईन कन्सेन्ट मेनेजमेंट एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम :-

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल मे ''ऑन लाईन कन्सेन्ट मेनेजमेंट एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम'' की स्थापना कर ली गई है। 01 नवम्बर 2014 से मंडल में स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण के लिए ऑन लाईन आवेदन एवं शुल्क ऑन लाईन जमा करने की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है।

13.1 लाल श्रेणी, नारंगी श्रेणी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को प्रदान की जाने वाली सम्मति नवीनीकरण की अवधि मे वृद्धि :–

मंडल द्वारा लाल श्रेणी, नारंगी श्रेणी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को प्रदान की जाने वाली सम्मति नवीनीकरण की अधिकतम अवधि क्रमशः 05 वर्ष, 10 वर्ष एवं 15 वर्ष कर दी गई है।

14. एक ही परिसर में विभिन्न औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए एकल सम्मति :-

मंडल द्वारा एक ही परिसर में विभिन्न औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उद्योग से आवेदन प्राप्त होने पर एकल सम्मति जारी करने की सुविधा भी आरंभ की गई है।

15. वृक्षारोपण बाबत् जानकारी (वर्ष 2016-17 में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी) :-

क्रं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वृक्षारोपण की संख्या
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	3,54,474
02	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	3,35,650
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	2,79,850
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	3,89,790
05	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	2,76,858
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	2,49,675
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	1,39,907
	कुल	20,26,204

16. नेशनल ग्रीन कोर कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता अभियान :-

स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता हेतु राज्य के लगभग 6750 स्कूलों में इको क्लब गठित किया गया है। प्रत्येक इको क्लब को रूपये 2500 प्रतिवर्ष के मान से अनुदान राशि प्रदान की जाती है। राज्य में 6 लाख स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

17. जन जागरूकता अभियान :-

1. 22 अप्रैल, 2016 विश्व पृथ्वी दिवस पर जल संरक्षण हेतु विशाल साईकिल रैली का आयोजन।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 22 अप्रैल, 2016 विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर विशाल साईकिल रैली का आयोजन मरीन ड्राईव, तेलीबांधा तालाब के पास रखा गया। साईकिल रैली का मुख्य उदेश्य जल संरक्षण हेतु जन–जागरूकता लाना था। रैली का मुख्य नारा ''छत्तीसगढ़ ने ठाना है, सब को जल बचाना है'' रखा गया था। इस रैली में बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधि एवं राज्य शासन के पदाधिकारियों/अधिकारियों ने भाग लिया। रैली के पश्चात् पर्यावरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर फिल्में प्रदर्शित की गई।

2. 05 जून 2015 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंडल द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन।

05 जून 2016 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंडल मुख्यालय द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये। प्रातः स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं की पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न आयु वर्गो से लगभग 300 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में शासन के पदाधिकारी/अधिकारी के साथ बडी संख्या में स्कूली बच्चे, उद्योगपति, एवं पत्रकार गण ने भाग लिया।

3. 16 सितम्बर,2016 अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर भाषण प्रतियोगिता एवं पर्यावरणीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा इस वर्ष 16 सितम्बर, 2016 अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस पर भाषण प्रतियोगिता एवं पर्यावरणीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में लगभग 260 बच्चों ने भाग लिया। मंडल द्वारा इन प्रतियोगिताओं के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्र–छात्राओं में वायुमण्डल में ओजोन की परत विश्व के एकजुट होने पर पुर्नस्थिापित किये जाने के महत्व को समझने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना रहा। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किये गये।

4. मूर्ती विसर्जन पर कार्यशाला का आयोजन।

दिनांक 09 अक्टूबर, 2016 को मंडल द्वारा श्री दलीप सिंह, मा. न्यायाधीश, एन.जी.टी. भोपाल के मुख्य आतिथ्य में मूर्ती विसर्जन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में शासन की ओर से पदाधिकारियों एवं अधिकारियों ने भाग लिया।

18. बोर्ड की वित्तीय स्थिति :-

वर्तमान में बोर्ड की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:–

तालिका - 12

अवधि	सम्मति शुल्क रू. लाख में	नवीनीकरण शुल्क रू. लाख में	जल उपकर शुल्क रू. लाख में	राज्य शासन से प्राप्त राशि रू. लाख में
दिनांक 01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016	519.71/–	1008.13/–	361.60/–	निरंक